

Opportunity

**for Independent Residential plots
for your independent**

Lifestyle

DDA

**offers 57 Prime Location
Residential Plots on
Free Hold Basis in Delhi**

- Shankar Road • Defence Colony • Jangpura
- Geeta Colony • East of Kailash • Chowkhandi • Zafrabad
- Rampuri (Kalkaji)

Eligibility : Any citizen of India, Public
Sector Banks, NRI's, Companies, Firms and PIOs



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

“Visit DDA Website - www.dda.org.in”



SHANKAR ROAD

The centrally located locality neighboring major commercial and official areas like Karol Bagh, Cannought place and Rajendra Place. Along with best medical facilities nearby at Sir Ganga Ram Hospital



DEFENCE COLONY

Located adjacent to Lajpat Nagar and South Extension markets and Ansal Plaza. Also close to Jawaharlal Nehru Stadium. This is an ideal posh locality surrounded with all types of commercial places. Dayal Singh College and Lady Sriram College are also in close vicinity.



JUNG PURA EXTN.

Located close to Mathura Road in South Delhi. This locality is located close to famous markets of Lajpat Nagar, South Extension including the famous Ansal Plaza. Other attractions include Jawaharlal Nehru stadium and Dilli Haat in the vicinity. Sarai Kale Khan ISBT and Hazrat Nizamuddin station are just 2 Kms away.



GEETA COLONY

Situated close to Yamuna river in East Delhi. This colony is located close to Akshardham Temple and Common Wealth Games Village. Also very close to Vikas Marg, the commercial hub of East Delhi.



EAST OF KAILASH

Though only 1 plot is available for auction, the same is situated in between Nehru Place, Lajpat Nagar, Okhla Industrial area is hardly 3 km. from the plot. The famous Escorts Heart Institute and Holy Family Hospital are 4 km. away from the plot and Okhla Sabzi Mandi is just 2 km. away from this plot. The area is fully developed and all infrastructural facilities are available.



CHOWKHANDI

This is adjacent to fully developed colony Janak Puri, Vikas Puri, Paschim Vihar and having following attraction : Metro line going Adjacent to Janak Puri Distt. Centre.



ZAFRABAD

Between Ambedkar University and Shyam Lal College connectivity with Metro Link Silampur and Shastri Park station. Also famous Guru Tegh Bahadur Hospital in the close vicinity.



RAMPURI (KALKAJI)

Surrounded with Prime areas like Nehru Place, Okhla Industrial Area and Kalkaji Temple. Rampuri is an ideal location for anyone looking to own residential land for either building a home or from the investment point of view.



Delhi Development Authority

Land Sales Branch (Residential)

Terms and conditions for sale by Auction, by the Delhi Development Authority, on behalf of the President of India, on free hold basis of residential plots under the Delhi Development Authority, (Disposal of Developed Nazul Land) Rules-1981.

1. ELIGIBILITY

- 1.(a) Any individual, who is not a minor and is a citizen of India, may purchase Free Hold rights in any one plot, by bid in the auction if/he/she, his wife/ her husband or any of his/her minor or dependent children or dependent parents, or dependent minor sisters and brothers, ordinarily residing with him/ her do not own in full or in part on Lease hold or Free hold basis, any residential plot or flat or house/ or have been allotted on hire purchase basis residential plot or house exceeding 67 sq.mtrs. in the Union Territory of Delhi, and neither he/she/ has transferred any residential plot/house or flat to anyone in the past, nor has transferred his/her membership in any Cooperative House Building Society/C.G.H.S. in Delhi
- 1.(b) Public Sector Banks Companies & Firms shall be allowed to participate in auction programme of residential properties provided the premises is used for bonafide residential purpose of their staff. They will be allowed to purchase only one plot as specified in Nazul Rule.
- 1.(c) The bidder/Purchaser must be a citizen of India or an NRI or a person of Indian origin (P.I.Os). The permission for NRIs & PIOs shall be governed under FEMA regulation framed under notification FEMA No.21/2000 R.B dated May 03,2000. The person of Indian origin will mean an individual (not being a citizen of Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka or Afghanistan or Chian or Iran or Nepal or Bhutan), who

दिल्ली विकास प्राधिकरण

भूमि विक्रय शाखा (आवासीय)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के अंतर्गत आवासीय प्लॉटों में फ्री होल्ड धारित अधिकारों की, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी द्वारा बिक्री के निबंधन एवं शर्तें:

I. पात्रता

- 1.(क) कोई भी व्यक्ति, जो अवयस्क नहीं है और भारत का नागरिक है, यदि उसके या उसकी पत्नी/उसके पति या उसके किसी अवयस्क या आश्रित बच्चे या आश्रित बच्चे या आश्रित अभिभावक या आश्रित अवयस्क बहन या भाई, जो सामान्यतः उसके साथ रहते हैं, के स्वामित्व में दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्रों में पट्टा धारिता या फ्री होल्ड आधार पर 67 वर्ग मी. से अधिक आवासीय प्लॉट या प्लैट या मकान में पूर्ण या आंशिक भाग नहीं है/या किराया-खरीद आधार पर कोई आवासीय प्लॉट या मकान आबंटित नहीं किया गया है और न तो कोई उसे कोई आवासीय प्लॉट/मकान या प्लैट आबंटित किया गया है न ही उसने दिल्ली में किसी सहकारी आवास सोसायटी में अपनी सदस्यता अंतरित कह है, नीलामी में बोली लगा कर किसी प्लॉट में अपनी कोई सदस्यता अंतरित की है, नीलामी में बोली लगा कर किसी प्लॉट में अपनी कोई सदस्यता अंतरित नहीं की है, नीलामी में बोली देकर फ्री होल्ड अधिकार खरीद सकता है।
- 1.(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को आवासीय सम्पत्तियों के नीलामी कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होगी, बशर्ते कि परिसर का उपयोग उनके स्टाफ के वास्तविक उद्देश्य से किया जाए। उन्हें सिर्फ एक प्लॉट नजूल रूल के तहत खरीदने की अनुमति है।
- 1.(ग) बोलीदाता/खरीददार भारत का नागरिक हो या अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) हो या भारतीय मूल का व्यक्ति (पी.आई.ओ.एस.) हो। अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) या भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.एस.) को इस प्रक्रिया में शामिल करने का प्रावधान एफ.आई.एम.ए. अधिनियम के तहत धारा एफ.ई.एम.ए. से 21/2000 तिथि मई 3,2000 के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति (जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान,

Delhi Development Authority

(i) at any time, held Indian Passport, or (ii) who or either of whose father or grand father was a citizen of India by virtue of the constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) and he or she is competent to enter into contract. Attested copy of passport to be attached with Bid application forms by NRI/PIO to establish the identity.

2. If the purchaser is married, then bid will have to be given in the joint names of wife and husband and if unmarried, he/she will have to apply for inclusion of name of wife/husband after marriage.
3. No person whose bid has been accepted by the Officer conducting the Auction shall be entitled to withdraw his bid. Entry into the Auction Hall shall be restricted only to such persons who carry a **demand draft in favour of DDA for a sum of Rs. Five Lakhs**. Such draft shall have to be deposited with the Officer conducting Auction prior to the commencement of the Auction. Where the Earnest Money as referred in para-II (4) below is not paid, it shall be deemed that the bid has been revoked/withdrawn and the amount of Rs. 5 lakhs (Rs. Five lakhs) shall stand forfeited to the DDA.
4. A change in the name of the intending purchaser shall not be allowed at any cost till the execution of conveyance deed.
5. The area of residential plots announced are only approximate, and the persons whose bids are accepted should be prepared to accept variation up to 15% either way in the area announced, subject to adjustment of cost in proportion to the amount of the accepted bid.

II BIDDING AT AUCTION AND SUBMISSION OF APPLICATION:

1. The Officer, conducting the Auction may, without assigning any reasons, withdraw any plot from the Auction at any stage.

चीन, नेपाल और भूटान के नागरिक नहीं हैं) से होगा।
(i) वह किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट का धारी हो या
(ii) उसके पिता या दादा भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) के तहत भारत का नागरिक हो और वह अनुबंध करने में सक्षम हो। पहचान स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति बोली के आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए।

2. यदि खरीददार विवाहित है तो बोली पत्नी और पति के संयुक्त नाम से देनी होगी यदि खरीददार अविवाहित है तो उसे विवाह के बाद अपनी पत्नी/अपने पति का नाम शामिल करने के लिए आवेदन करना होगा।
3. कोई भी व्यक्ति, जिसकी बोली नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई है, अपनी बोली वापस लेने का हकादार नहीं होगा। नीलामी हाल में प्रवेश केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होगा जो **दि.वि.प्रा. के पक्ष में देय पाँच लाख रु. को डिमांड ड्राफ्ट** अपने साथ लाएंगे। यह डिमांड ड्राफ्ट नीलामी प्रारंभ होने से पहले नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी के पास जमा कराना होगा। यदि नीचे पैरा II (4) में उल्लिखित बयाना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो मान लिया जाएगा कि बोली रद्द कर दी गई है/वापस ले ली गई है। 5 लाख रु. (केवल पाँच लाख रुपए) की राशि दि.वि.प्रा. में जम्मा कर ली गई।
4. इच्छुक क्रेता के नाम परिवर्तन की अनुमति किसी भी कीमत पर पट्टा विलेख के निष्पादन पर ही दी जाएगी।
5. घोषित आवासीय प्लॉटों का क्षेत्रफल केवल अनुमानित है और जिन व्यक्तियों की बोली स्वीकार की जाएगी वे घोषित क्षेत्रफल में 15% तक कमी या अधिकता स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। उनकी स्वीकृत बोली में लागत उसी अनुपात में समायोजित कर ली जाएगी।

II. नीलामी में बोली देना और आवेदनपत्र जमा कराना

1. नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी किसी भी प्लॉट को, कोई कारण बताए बिना किसी भी चरण पर वापस ले सकता है।

2. The bid shall be for the amount of premium offered for the Free Hold rights in the plot. **The plot is being auctioned on "as is where is basis". It is presumed that the intending purchaser has inspected the site and has familiarized himself/herself with the prevalent site conditions in all respects before offering the bid. If any tree exist in any of the plot, it would be responsibility of the auction purchaser to get it removed after obtaining approval of the concerned Authorities and DDA will not be a party for obtaining permission etc. after fall of hammer.**
3. **Brochure and the application form can also be downloaded from our website www.dda.org.in. In case the downloaded application form is submitted then a demand draft of Rs. 500/- will have to be given in addition to the demanded amount as mentioned in the brochure.**
4. The Officer conducting the auction shall normally accept the bids, subject to confirmation by the Competent Authority, the highest bid offered at the auction and the person whose bid has been accepted shall pay, at the fall of hammer. Earnest Money, a sum equivalent to 25% of bid amount by pay order/Demand Draft in favour of DDA. The amount of Earnest Money is to be deposited in Central Bank of India. State Bank of India, Vikas Sadan, INA, New Delhi. If the Earnest Money is not paid, it shall be deemed that the bid has been revoked/withdrawn and the amount, as specified in Clause-1 (3) above, shall stand forfeited to DDA.
5. The Officer conducting the auction may, for reasons to be recorded in writing and recommend to the Competent Authority to reject any bid including the highest bid.
6. The successful bidder shall submit duly filled in application, in the form attached, immediately after the close of the auction of the plot in question.

- 2- बोली, प्लॉट में फ्री होल्ड अधिकारों के लिए प्रस्तुत प्रशुल्क की राशि के लिए होगी। प्लॉट की नीलामी "जैसा है, जहां है" आधार पर की जाएगी। इसलिए यह मान लिया जाएगा कि इच्छुक खरीददार ने स्थल का निरीक्षण कर लिया है और बोली देने से पहले वह स्थल की मौजूदा स्थिति से भली-भांति परिचित है। यदि किसी प्लॉट में कोई पेड़ मौजूद है तो यह नीलामी में खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त कर उसे हटवाएँ और दिल्ली विकास प्राधिकरण नीलामी हथौड़े की चोट के बाद अनुमति आदि प्राप्त करने में एक पक्षकार नहीं होगा।
- 3- विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र वेबसाइट www.dda.org.in के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यदि वेबसाइट द्वारा डाउनलोड किया गया आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके साथ 500/- रु. का एक धनादेश, विवरण पुस्तिका में दर्शायी गयी मांग राशि के अलावा भी संलग्न करना होगा।
4. नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने की शर्त पर सामान्यतः नीलामी में दी गई उच्चतम बोली स्वीकार करेगा और जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की गई है, वह हथौड़ा गिरने पर बयाना राशि के रूप में बोली की राशि के 25% की समकक्ष राशि का दि.वि.प्रा. के पक्ष में देय पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करेगा। बयाना राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/ भारतीय स्टेट बैंक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली में जमा करानी है। यदि बयाना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि बोली रद्द की दी गई है और उक्त खंड-1 (3) में निर्दिष्ट राशि दि.वि.प्रा. में जब्त कर ली जाएगी।
5. नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर उच्चतम बोली सहित किसी भी बोली को रद्द कर सकता है।
6. सफल बोलीदाता, प्लॉट की नीलामी बंद होने के तत्काल बाद, संलग्न फार्म में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा कराएगा। इच्छुक खरीददार, शेष राशि का चालान और अन्य

Delhi Development Authority

The intending purchaser shall submit an affidavit and an undertaking as per the specimen attached, while depositing the challan of balance payment along with other documents.

7. If the bid is not accepted, the Earnest Money will be refunded to the bidder without any interest. If DDA has to withdraw the residential plot from auction (including not handing over the residential plot to successful bidders due to any reason like excess area or less area, etc.) then the E.M. and premium deposited will be returned to the auction purchaser without any interest up to a period of six months period from the date of auction. Beyond six months period, DDA will pay an interest of 7% for the amount lying with DDA for such period.
8. The demand-cum-allotment letter would be sent to the successful bidder immediately after the bid is accepted by the Competent Authority. The highest bidder is required to make payment of balance 75% bid amount, as demanded vide said demand letter referred to above, within 90 days from the date of issue of the demand letter by Bank Draft/Pay Order only in the branches of Central Bank of India/State Bank of India, Vikas Sadan INA, New Delhi. The Competent Authority may, in his absolute discretion may extend the last date of payment up to the maximum period of 180 days, beyond the last date for payment with reference to the date of issue of demand letter, subject to payment of interest on the balance amount@12.50% p.a where the delay does not exceed 30 days and @ 15% where the day exceed 30 days.

The interest is applicable only on the delayed amount of the total amount due and to be computed on every 15 days basis e.g. if the payment is delayed for 1 to 15 days interest is applicable for 15 days. Similarly if the delay is for 16 to 31 days interest is applicable for 30 days and so on.

Note : The successful bidder may pay the cost of the plot by availing loan facility from

दस्तावेज़ जमा कराने के समय संलग्न नमूने के अनुसार शपथ पत्र और एक वचन बंध पत्र जमा कराएगा।

7. यदि बोली स्वीकार नहीं की जाती है तो बयाना राशि बिना किसी ब्याज के बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी। यदि दि.वि.प्रा. नीलामी से आवासीय प्लॉट वापस लेता है (अधिक क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल आदि जैसे किसी कारण से सफल बोलीदाता को आवासीय प्लॉट का कब्जा देने सहित) तो नीलामी खरीददार को, नीलामी के तारीख से 6 महीने के अवधि तक जमा कराई गई बयाना राशि एवं प्रशुल्क की राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। छह महीने से अधिक के बाद दि.वि.प्रा. के पास जमा राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा।
8. मांग एवं आबंटन पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली स्वीकार किए जाने के तत्काल बाद सफल बोलीदाता को भेजा जाएगा। उच्चतम बोलीदाता को, उक्त मांग पत्र के माध्यम से मांगी गई शेष 75% बोली-राशि का भुगतान, मांग पत्र जारी होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर केवल बैंक ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/भारतीय स्टेट बैंक की विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली स्थित शाखाओं में करना होगा। सक्षम प्राधिकारी, अपने सम्पूर्ण विवेकानुसार, भुगतान करने की अंतिम तारीख, मांग पत्र जारी होने की तारीख के संदर्भ में भुगतान करने की अंतिम तारीख से आगे अधिकतम 180 दिनों तक इस शर्त पर बढ़ा सकते हैं कि जहां भुगतान में विलंब 30 दिनों से अधिक नहीं हुआ है, वहां शेष राशि पर 12.50% प्रति वर्ष की दर से तथा जहां भुगतान में विलंब 30 दिनों से अधिक हुआ है, वहां 15% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

ब्याज कुल देय राशि की केवल विलंबित राशि पर लागू होगा और प्रत्येक 15 दिनों के आधार पर परकलित किया जाएगा अर्थात् यदि भुगतान में 1 से 15 तक विलंब हुआ है तो ब्याज केवल 15 दिनों के लिए देय होगा। इसी तरह यदि विलंब 16 से 31 दिनों तक हुआ है तो ब्याज 30 दिनों के लिए और इसी तरह आगे की अवधि के लिए लागू होगा।

टिप्पणी : सफल बोलीदाता वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ उठाकर प्लॉट की लागत का भुगतान कर सकता है, जिसके लिए दि.वि.प्रा. अनापत्ति/बंधक अनुमति देती है।

financial institutions for which the DDA offer NOC/mortgage permission.

9. Four copies of Conveyance deed alongwith the copy of site plan will be supplied to the highest bidder along with the demand letter to get the conveyance deed papers stamped from the office of Collector of Stamps. The Earnest Money shall stand forfeited and the auction purchaser shall not be liable to any compensation whatsoever if he/she fails to submit conveyance deed within 90 days from the date of issue of same from the office of Deputy Director (L.A.)/Residential. It shall be the sole responsibility of the auction purchaser to submit the stamped conveyance deed papers alongwith the site plan, before issue of the possession letter. The possession of the plot will be handed over only after the submission of the above said documents in the office of Deputy Director (L.A.)/ Residential. After taking the possession, the successful auction purchaser is required to get the conveyance deed executed by the Lease Administration Officer. In case the execution of conveyance deed is not completed within the period of 3 months from the date of issue of the possession letter from the office of Deputy Director (L.A) on account of any lapse on the part of auction purchaser, action for cancellation of allotment of residential plot will be taken.
 10. In case, the highest bidder fails to make the balance 75% amount within the stipulated period, as mentioned in the demand letter or within such extended period, if any granted by the Competent Authority on his written application, the bid shall automatically stand cancelled and the Earnest Money shall stand forfeited. In that eventuality, the competent authority shall be competent to re-auction the residential plot.
 11. After making the payment of balance 75% of amount and intimating thereof, the highest bidder is required to appear before the Deputy Director (L.A) Residential in Person or through an authorized
9. स्टाम्प कलैक्टर के कार्यालय से पट्टा विलेख कागजातों पर स्टाम्प लगवाने के लिए उच्चतम बोलीदाता को मांग-पत्र के साथ पट्टा विलेख की चार प्रतियां और साइट-प्लान की प्रति दी जाएगी। यदि उप निदेशक (पट्टा प्रशासन)/आवासीय के कार्यालय से पट्टा विलेख प्रस्तुत करने में नीलामी क्रेता असफल रहे, तो बयाना राशि जब्त हो जाएगी और चाहे कुछ भी हो उसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यह नीलामी क्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वह कब्जा-पत्र जारी होने से पूर्व स्टाम्पित पट्टा पेपर और साइट-प्लान प्रस्तुत करें। उप निदेशक (पट्टा प्रशासन)/आवासीय के कार्यालय में उपर्युक्त उक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर ही प्लॉट का कब्जा सौंपा जाएगा। कब्जा लेने के पश्चात् सफल नीलामी-क्रेता को पट्टा प्रशासन अधिकारी द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख प्राप्त करना अपेक्षित है। उप निदेशक (पट्टा प्रशासन) के कार्यालय से कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 3 महीनों की अवधि के अन्दर यदि नीलामी क्रेता की किसी कमी के कारण पट्टा विलेख निष्पादन पूर्ण नहीं होता, तो इसे निबंधन और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा तथा आवासीय प्लॉट के आबंटन के रद्दकरण की कार्यवाही की जाएगी।
 10. यदि मांग-पत्र में उल्लिखित निर्धारित अवधि अथवा उसके लिखित आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई किसी अवधि के अन्दर, यदि उच्चतम बोलीदाता शेष 75% राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो बोली स्वतः ही रद्द हो जाएगी और बयाना राशि जब्त हो जाएगी। उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी, आवासीय प्लॉट की पुनः नीलामी करने के लिए सक्षम होगा।
 11. शेष 75% राशि का भुगतान करने के पश्चात् उसकी सूचना देते हुए उच्चतम बोलीदाता को व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उप निदेशक (पट्टा प्रशासन) आवासीय के समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित है।

representative along with the third copy of bank challan in support of payment of balance 75% amount, terms and conditions of auction duly typed on a non-judicial stamp paper worth Rs. 10/- signed by auction purchaser (s), 5 recent passport size photographs of individual or combined, as the case may be, the conveyance deed papers duly stamped, an affidavit, an undertaking and any other documents as indicated in the demand letter. On submission of all documents and subject to verification of the payment made by the auction purchaser, the possession letter will be issued within 30 days and the same can also be collected in person by the auction purchaser. The possession letter so issued will carry the date on which the physical possession of the plot will be handed over to the auction purchaser at site. In case, the purchaser fails to turn up at site on the date and time fixed for handing over possession, the next date of possession will be fixed only on payment of Rs. 1000/- p.m on account of penalty for not taking over the possession by the purchaser. The possession, however, must be taken within 3 months from the date fixed for the same and in case, possession is not taken in 3 months, then the allotment shall stand cancelled and the earnest money shall stand forfeited without any notice.

12. In case of default, breach or non-compliance of any of the terms and conditions of the auction or any fraud, misrepresentation or concealment of facts or non-payment of balance premium within the due date by the bidder/intending purchaser, the Earnest Money shall stand forfeited.

111 CONSTRUCTION ON PLOT

1. The purchaser shall have to erect and complete the residential building in accordance with the type design and other architectural features if any, prescribed by the Delhi Development Authority, after obtaining and in accordance with the sanction of the building plan with necessary design, plans and specifications from

उन्हें अपने साथ शेष 75% राशि के भुगतान के प्रमाण के रूप में बैंक चालान की तीसरी प्रति, नीलामी (क्रेता)ओं द्वारा हस्ताक्षरित 10/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विधिवत टंकित की हुई नीलामी की निबंधन और शर्तों, जैसा भी मामला हो, 5 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो (व्यक्तिगत अथवा संयुक्त), विधिवत रूप से स्टाम्पित पट्टा पेपर, एक शपथ पत्र, एक वचनबंध और मांग पत्र में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है। सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत होने और नीलामी क्रेता द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर 30 दिनों के अन्दर कब्जा-पत्र जारी किया जाएगा और जिसे नीलामी क्रेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। जारी किए गए कब्जा-पत्र पर तिथि लिखी होगी, जिस पर नीलामी क्रेता को स्थल पर वास्वविक कब्जा दिया जाएगा। यदि कब्जा देने की तिथि और नियत किए गए समय पर क्रेता स्थल पर आने में असफल रहे, तो क्रेता द्वारा कब्जा न लिए जाने पर पैनल्टी के रूप में 100/-रु. प्रतिमाह के भुगतान करने पर ही कब्जा लेने की आगामी तिथि नियत की जाएगी। तथापि, 75 प्रतिशत शेष भुगतान करने की तिथि से 3 महीनों के अन्दर कब्जा ले लिया जाना चाहिए, और यदि 3 महीनों में कब्जा नहीं लिया जाता है तो आबंटन रद्द हो जाएगा और बिना किसी नोटिस के बयाना राशि जब्त हो जाएगी।

12. नीलामी के निबंधन और शर्तों का पालन न करने, चूक करने, उल्लंघन करने के मामले में अथवा किसी धोखे अथवा तथ्यों की गलत बयानी अथवा छुपाने अथवा बोलीदाता/इच्छुक क्रेता द्वारा देय तिथि के अन्दर शेष प्रीमियम के भुगतान न करने पर बयाना राशि जब्त हो जाएगी।

III प्लॉट पर निर्माण

1. क्रेता को प्लॉट आवासीय भवन का निर्माण एवं समापन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित टाइप, डिजाइन और अन्य वास्तुकला संबंधी विशेषताओं, यदि कोई हो, के अनुसार करना होगा। उसे यह कार्य नगर निगम या अन्य संबंधित प्राधिकरणों के संबंधित नियमों, उपविधियों आदि के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, आवश्यक डिजाइन, नक्शों एवं

the proper Municipal or other authorities concerned in accordance with their respective rules, bye-laws etc., as the case may be. The purchaser shall not start construction before the said plan etc. are fully sanctioned by the authorities aforesaid. The purchaser shall not start any activity in connection with the construction before execution and registration of conveyance deed.

2. The plot or building thereon shall not be used for a purpose other than that of residential.
3. The allottee shall not sub-divide the plot or amalgamate with any other plot.
4. The purchaser will be liable to pay all rates, taxes, charges and assessments of every description in respect of the plot whether assessed, emerged or imposed on the plot or on the building constructed there on or on the Land Lord or tenant in respect, thereof.
5. All dues payable to the DDA in respect of the plot or the building erected thereon shall be recoverable as arrears of land revenue and will be first charge on property.
6. If the conveyance of the plot is obtained by any concealment misrepresentation, misstatement or fraud and if there is any breach of conditions of the auction the conveyance deed will be terminated and the possession of the plot and the building thereon will be taken over by the DDA and the purchaser will not be entitled to any compensation/ refund.

IV COST & EXPENSES

1. The terms and conditions of the auction shall be strictly followed by the successful auction purchaser and in case of any breach of terms and conditions of the auction, conveyance deed the allotment shall stand cancelled. The orders of the Competent Authority in respect of the interpretation of any conditions of the auction, conveyance deed shall

विशिष्टियों सहित भवन नक्शे की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद और उनके अनुसार करना होगा। क्रेता पूर्वोक्त प्राधिकरणों द्वारा पूरी तरह से उक्त नक्शों आदि की स्वीकृति लेने से पहले निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगा। क्रेता पट्टा विलेख के निष्पादन और पंजीकरण से पहले निर्माण के संबंध में कोई कार्यकलाप शुरू नहीं करेगा।

2. प्लॉट या उस पर निर्मित भवन का उपयोग आवासीय उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
3. आबंटिती प्लॉट को उप विभाजित करने या किसी अन्य प्लॉट के साथ मिलाने का हकदार नहीं होगा।
4. क्रेता खरीददार को प्लॉट से संबंधित सभी दरों, करों, प्रभारों और प्रत्येक तरह के निर्धारणों का भुगतान करना होगा, चाहे वे प्लॉट या उस निर्मित भवन पर या उसके स्वामी अथवा उससे संबंधित किरायेदार पर निर्धारित किये जाने हों, उससे लिये जाने हों या उस पर लगाए जाने हों।
5. प्लॉट या उस पर निर्मित भवन के संबंध में दि.वि.प्रा. को देय सभी बकाया राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार लिया जायेगा।
6. यदि प्लॉट का पट्टा किसी तरह के मिथ्या विवरण, मिथ्या कथन का छल-कपट से प्राप्त किया जाता है और यदि नीलामी की शर्तों का कोई उल्लेघन किया जाता है, तो पट्टा विलेख को दिया जाएगा तथा प्लॉट और उस पर बने हुए भवन का कब्जा दि.वि.प्रा. पट्टाकर्ता द्वारा ले लिया जाएगा तथा खरीददार किसी भी तरह के मुआवजे/वापसी का हकदार नहीं होगा।

IV लागत एवं खर्च

1. सफल नीलामी क्रेता द्वारा नीलामी के निबन्धनों एवं शर्तों का पालन सख्ती से किया जाएगा और नीलामी या पट्टा विलेख के निबन्धनों एवं शर्तों के किसी तरह के उल्लंघन के मामले में आबंटन रद्द समझा जाएगा। नीलामी की किसी शर्त की व्याख्या के बारे में सक्षम प्राधिकारी के आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे और उस कार्यवाही के संबंध में कोई कारवाई

Delhi Development Authority

be final and binding and shall not be called in action in any proceedings.

2. The cost and expenses of preparation, stamping and registration of the conveyance deed and its copies and all other incidental expenses shall be paid by the allottee/purchaser. The purchaser shall also pay any other duty charges as may be levied by any other Authority.

V. For any violation/breach of the terms and conditions aforesaid, the bid of the purchaser /allottee shall be liable to be cancelled and the conveyance deed if, already executed, liable to be determined and the allottee/ purchaser shall not be entitled to any compensation whatsoever, or to the return of any premium to him/her.

VI. If there is any discrepancy/contradiction in translation from English to Hindi, the language used in English version will hold good.

Place

Date

**Signature of the highest bidder/
On his/her behalf/
On behalf of the applicant**

**Countersigned by
(Officer conducting the auction)**

नहीं की जाएगी।

2. पट्टा विलेख एवं उसकी प्रतियां तैयार करने, स्टाम्प लगवाने और पंजीकरण करवाने की लागत एवं खर्चों तथा सभी अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान आबंटिती/क्रेता द्वारा किया जाएगा। क्रेता को किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा वसूल किये जाने वाले किसी अन्य ड्यूटी प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

V. पूर्वोक्त निबन्धनों एवं शर्तों के किसी तरह के उल्लंघन/भंग करने के लिए क्रेता/आबंटिती की बोली रद्द दी जाएगी और पट्टा, यदि पहले ही निष्पादित किया जा चुका हो, समाप्त कर दिया जाएगा तथा आबंटित/क्रेता किसी तरह के मुआवजे, चाहे जो भी हों या उसे किसी प्रशुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा

VI. यदि अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने पर किसी प्रकार की विसंगति/विरोधाभास हो तो अंग्रेजी संस्करण में प्रयुक्त भाषा को ही मान्यता दी जाएगी।

स्थान

दिनांक

उच्चतम बोलीदाता के/
उनकी तरफ से/
आवेदक की तरफ से हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर
(नीलामी संचालन अधिकारी)

Delhi Development Authority

Date of Auction 16.12.2008

S. No.	Plot No.	Area in Sq.m.	Location advantage	Reserve Price (in Rs.)
SHANKAR ROAD				
1	12	83.61	Two Side	1,05,19,727.00
2	38	83.61	--	1,05,19,727.00
3	91	83.61	--	1,05,19,727.00
4	93	83.61	--	1,05,19,727.00
5	96	83.61	--	1,05,19,727.00
6	100	83.61	--	1,05,19,727.00
7	44	83.61	--	1,05,19,727.00
8	14	83.61	--	1,05,19,727.00
9	21	82.56	--	1,03,87,617.00
10	43	83.61	-	1,05,19,727.00

S. No.	Plot No.	Area in Sq.m.	Location advantage	Reserve Price (in Rs.)
SHANKAR ROAD				
11	75	83.61	Two Side	1,05,19,727.00
12	81	83.27	--	1,04,76,948.00
13	89	83.61	--	1,05,19,727.00
14	92	83.61	--	1,05,19,727.00
15	94	81.32	--	1,02,31,601.00
16	108	84.31	--	1,06,07,800.00
17	133	83.61	--	1,05,19,727.00
18	113	83.61	--	1,05,19,727.00
19	121	82.89	--	1,04,29,137.00
20	132	83.61	--	1,05,19,727.00

Date of Auction 17.12.2008

S. No.	Plot No.	Area in Sq.m.	Location advantage	Reserve Price (in Rs.)
SHANKAR ROAD				
21	187	66.89	Two Side	84,16,033.00
22	204	66.89	--	84,16,033.00
23	207	66.17	--	83,25,443.00
24	213	66.17	--	83,25,443.00
25	221	66.89	--	84,16,033.00
26	203	66.89	--	84,16,033.00
27	211	66.17	--	83,25,443.00
28	215	66.17	--	83,25,443.00
29	220	66.89	--	84,16,033.00
30	224	66.89	--	84,16,033.00
31	185	66.25	--	83,35,509.00
32	39	83.61	Three side (corner)	1,15,71,700.00

S. No.	Plot No.	Area in Sq.m.	Location advantage	Reserve Price (in Rs.)
SHANKAR ROAD				
33	225	66.89	Three side (corner)	92,57,636.00
34	190	66.89	DO	92,57,636.00
35	205	66.89	DO	92,57,636.00
36	229	66.89	DO	92,57,636.00
DEFENCE COLONY				
37	Site No. 4, near A-373	91	--	1,29,90,614.00
38	Site No. 7, between B-89 to 104	362	--	5,16,76,948.00
39	Site No. 23, near A-2	144	--	2,05,56,576.00
JUNG PURA EXTN.				
40	Site No. 14, near C-9	90	--	1,28,47,860.00

Delhi Development Authority

Date of Auction 18.12.2008

S. No.	Plot No.	Area in Sq.m.	Location advantage	Reserve Price (in Rs.)
GEETA COLONY				
41	21, Block No.5 (Site No. 4)	81.40	--	1,02,41,667.00
42	38, Block No. 8	98.17	--	1,23,51,651.00
43	36, Block No. 8	92.40	--	1,16,25,676.00
B-BLOCK, EAST OF KAILASH				
44	84-A	110	--	1,44,10,000.00
CHOWKHANDI				
45	47	250	--	2,20,37,500.00
46	95	250	--	2,20,37,500.00

S. No.	Plot No.	Area in Sq.m.	Location advantage	Reserve Price (in Rs.)
ZAFRABAD				
47	A-39	140	Corner	1,19,35,000.00
48	A-55	140	Corner	1,19,35,000.00
49	B-32	140	Corner	1,19,35,000.00
50	B-38	138	--	1,06,95,000.00
51	B-53	140	Corner	1,19,35,000.00
52	B-61	140	Corner	1,19,35,000.00
53	B-77	140	--	1,08,50,000.00
54	C-17	139.30	--	1,07,95,750.00
55	D-13	140	Corner	1,19,35,000.00
56	D-18	140	--	1,08,50,000.00
RAMPURI (KALKAJI)				
57	Strip of Land adjoining plot No. 7	85.70	--	1,22,34,018.00

Delhi Development Authority

SPECIMEN OF THE AFFIDAVIT (I)

(The affidavit should be on non-Judicial stamp paper of Rs. 10/- and must be attested by a Magistrate/Sub Judge/ Notary) if attested by Notary a notarial stamp of Rs.5/- affixed on it).

I, Shri/Mrs./Miss.
S/o, W/o, D/oR/o
..... Delhi/New Delhi do hereby solemnly affirm
and declare as under:-

1. That neither I nor my wife/husband and of any of my minor/dependent children or dependent parents, dependent minor sisters/brothers, ordinarily residing with me own in full or in part on Lease hold, free-hold house/flat nor have been allotted on hire purchase basis a residential land or house exceeding 67 sq.mtrs. in Union Territory of Delhi.
2. I have not transferred any residential plot/house or flat to any one nor have I transferred my memberships of any Co-operative Housing Building society/C.G.H.S. in Delhi in favour of any one.
3. I have attained the age of majority my date of birth as and I am a citizen of India.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above named..... do hereby solemnly affirm and declare that the contents of para 1,2,3 above the correct and nothing therein has been concealed or suppressed.
Verified at Delhi/New Delhi on this day of2008.

DEPONENT

SPECIMEN OF THE AFFIDAVIT (II)

IS/o, W/o, D/o.....
R/o
under:-

1. That I am unmarried on the date of auction.
2. That I will inform the Lessor when I am married and apply for inclusion of name of my wife/husband immediately after my marriage.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, have above named Do hereby solemnly affirm and declare that the contents of para 1&2 above belief and nothing therein has been concealed or suppressed.
Verified at Delhi/New Delhi on this
day of2008.
Note:-

1. The affidavit should be on non judicial stamp paper of Rs.10/- and must be attested by a Magistrate/Sub-Judge/ Notary.
2. If the affidavit is attested by Notary Public affixation of notarial stamp worth Rs.5/- is essential.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शपथ-पत्र का नमूना (1)

(शपथ-पत्र 10/- रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। यदि नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए तो इस पर 5/- रुपये की नोटोरियल स्टाम्प लगी होनी चाहिए।)

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
निवासी दिल्ली/नई दिल्ली एतद्वारा सत्यानिष्ठापूर्वक
निम्न प्रकार से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ:

1. कि न मैं और न मेरी पत्नी/पति मेरा कोई अवयस्क/आश्रित बच्चा या आश्रित माता-पिता, आश्रित अवयस्क बहन/भाई, जो सामान्यतः मेरे साथ रहते हैं, पट्टाधारिता मकान/फ्लैट का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामी है और न ही संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में किराया-खरीद आधार पर 67 वर्ग मी० से अधिक कोई भूमि या मकान आबंटित किया गया है।
2. मैंने कोई आवासीय प्लॉट/मकान या फ्लैट किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया है और न ही मैंने दिल्ली में किसी सहकारी भवन निर्माण सोसायटी/सी.जी.एच.एस. की अपनी सदस्यता किसी व्यक्ति के पक्ष में अंतरित की है।
3. मैं अपनी जन्म तिथि के अनुसार व्यस्क हो गया/गयी हूँ और मैं भारत का/की नागरिक हूँ।

अभिसाक्षी

सत्यापन:

मैं उक्त नामित..... एतद्वारा सत्यानिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त पैरा 1,2,3 में दिया गया विवरण सही है और उनमें कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है।

..... माह 2008 के दिन को दिल्ली/नई दिल्ली में सत्यापित किया जाता है।

अभिसाक्षी

शपथ -पत्र नमूना(2)

मैं सुपुत्र/पत्नी/पुत्री
निवासी..... निम्न प्रकार से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ:

1. कि मैं नीलामी की तिथि को अविवाहित हूँ।
2. कि जब मेरा विवाह हो जाएगा तब मैं पट्टाकर्ता को सूचित कर दूंगा और अपने विवाह के तुरन्त बाद अपनी पत्नी/पति का नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर दूंगा/दूंगी।

अभिसाक्षी

सत्यापन :

मैं उक्त नामित..... एतद्वारा सत्यानिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और घोषणा करता /करती हूँ कि उक्त पैरा 1, एवं 2 में दिया गया विवरण सही है और उनमें कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है।

.....माह 2008 के दिन को दिल्ली/नई दिल्ली में सत्यापित किया जाता है।

टिप्पणी :

1. यह शपथ-पत्र 10/- रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी से अनुप्रमाणित होना चाहिए।
2. यदि शपथ-पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए, तो 5/-रुपये की नोटोरियल स्टाम्प लगायी जानी अनिवार्य है।

Delhi Development Authority

UNDERTAKING

(This should be on non-judicial stamp paper of Rs.10/- and must be attested by a Magistrate/Sub-Judge/Notary) if attested by Notary, a notarial stamp of Rs.5/- should be affixed on it.

1. I,S/o,W/o,D/o Shri/
R/o.....

Do hereby undertake as under

2. That I or wife/husband undertake that we or any of our dependent relations including unmarried dependent children till they attain the age of majority will not acquire any other Lease hold/free hold residential plot/flat from the Delhi Development Authority/ President of India/Municipal Corporation of Delhi.

DEPONENT

1. Witness:
Name _____
Address _____

2. Witness:
Name _____
Address _____

Note:-

1. The undertaking should be on non judicial stamp paper of Rs.10/- duly attested by a Megistrate/ Sub-Judge/ Notary.
2. If the undertaking is to be attested by a Notary affixation of Notarial Stamp of Rs.5/- is essential.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वचन बंध-पत्र

(यह वचन बंध-पत्र 10/- रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और किसी मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी द्वारा साक्षांकित होना चाहिए। यदि इसे नोटरी द्वारा साक्षांकित किया जाए तो इस पर 5/-रुपये की नोटरी स्टाम्प भी लगाई जाए।)

1. मैंसुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री
निवासी.....

एतद्वारा निम्नानुसार वचन देता/देती हूँ :

2. मैं अथवा पत्नी/पति वचन देता/देती हूँ कि हम अथवा हमारा कोई आश्रित संबंधी, जिनमें अविवाहित बच्चे भी शामिल हैं, जब तक वे व्यस्क नहीं हो जाएंगे, तब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण/भारत के राष्ट्रपति/दिल्ली नगर निगम से कोई अन्य लीज होल्ड आवासीय प्लॉट/प्लैट प्राप्त नहीं करेंगे।

अभिसाक्षी

- (1) गवाह
नाम
पता
.....
.....

- (2) गवाह
नाम
पता.....
.....
.....

टिप्पणी :

1. यह वचन बंध-पत्र 10/- रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए और मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी द्वारा विधिवत साक्षांकित होना चाहिए।
2. यदि वचन बंध-पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा साक्षांकित किया जाए, तो 5/- रुपये की नोटरी स्टाम्प चिपकाना भी आवश्यक है।



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

BID APPLICATION FORM

(Read the Terms & Conditions carefully before filling)

Affix
Stamp Size
Photograph

Affix
Stamp Size
Photograph

Price Rs.500/- only

Application No.....

Application by the Highest Bidder for the purchase of the Free Hold rights of Residential Plots under Delhi Development Authority (Disposal of Development Nazul Lands) Rules-1981

(A) Particulars of the Intending Purchaser:

- Name (s) (in block letter) (a)
(b) Wife (if married)
- Name of Father / Husband
- Date of Birth (a) (b)
Age on the date of auction (a) (b) (c)
- Full address (a) Residential
(a) Occupational Tele: (O) Tele: (R)
- Marital status-Married/Unmarried
- Pass Port No. (if NRI or PIO) (Copy of Passport to be attached)

(B) Particulars of intending purchaser if it is a Public Sector Bank/Firms/Companies

- Name of the Public Sector Bank
- Address with Phone Nos

(C) Particulars of the Auction:

- Date of Auction
- Description of Residential Plot
(a) Locality:
(b) Plot Number:
(c) Area (in sq.mtrs).....
- Amount of Bid:Rs. (RupeesOnly)
- Details of Earnest Money deposited (equal to 25% of bid amount)
a) Pay order /Bank Draft No..... Date.....
amount Rs. (Rupeesonly)
1.
2.
3.
4.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

I/We the undersigned being the highest bidder in the auction as mentioned above hereby apply on my behalf of the intending purchaser above named to the Delhi Development Authority, New Delhi for the purchase of the Free Hold rights of the residential plot described above under the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Lands) Rules, 1981. I/We have read and understood the terms and conditions of auction and hereby accept the same.

I/We the intending purchaser(s) will pay balance premium and other amounts, if any and execute the conveyance deed in the form prescribed in accordance with the said conditions.

I/We intending purchaser(s) will submit the necessary undertaking and affidavit within a week.

Signature(s) of the Highest
Bidder(s) or on Behalf of the intending
Purchaser(s) above mentioned

Date :
Place :

Counter Signed by
(Officer conducting the auction)



दिल्ली विकास प्राधिकरण

नीलामी बोली आवेदन-पत्र

(फार्म भरने से पहले निबंधन एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।)

स्टाम्प साइज
का
फोटो चिपकाएं

स्टाम्प साइज
का
फोटो चिपकाएं

मूल्य रु. 500/- केवल

प्रार्थना-पत्र सं.....

दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि का विकास एवं निपटान) नियम, 1981 के अन्तर्गत फ्री होल्ड अधिकार वाले आवासीय प्लॉटों की खरीद हेतु सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा आवेदन-पत्र।

(क) इच्छुक क्रेता का विवरण :

- नाम(क) (स्पष्ट अक्षरों में)
(ख) पत्नी (यदि विवाहित हो)
- पिता/पति का नाम
- जन्म तिथि (क) (ख)
नीलामी की तिथि को आयु (क) (ख) (ग)
- पूरा पता (क) आवासीय
(ख) व्यावसायिक..... टेलीफोन(कार्यालय)..... (आवास).....
- वैवाहिक स्थिति-विवाहित/अविवाहित.....
- पासपोर्ट सं० (यदि अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल का व्यक्ति) (पासपोर्ट की प्रति संलग्न की जाए)
(ख) यदि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है तो इच्छुक क्रेता के विवरण :
(अ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम
(ब) फोन नं० के साथ पता
(ग) नीलामी का विवरण :
1. नीलामी की तिथि
- आवासीय प्लॉट का विवरण
(क) स्थान
(ख) प्लॉट नं०
(ग) क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)
- बोली राशि: रुपये (केवल..... रुपये)
- जमा की गई बयाना राशि का विवरण (बोली राशि के 25 प्रतिशत के बराबर)
(क) भुगतान आदेश/बैंक ड्राफ्ट नं०..... तिथि.....
राशि : रुपये.....(केवल..... रुपये)
1.
2.
3.
4.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, ऊपर यथा उल्लिखित नीलामी में सर्वोच्च बोलीदाता होने के कारण, एतद्वारा ऊपर नामित इच्छुक खरीददार की ओर से, दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के अन्तर्गत ऊपर वर्णित आवासीय प्लॉट के फ्री होल्ड अधिकार खरीदने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण में आवेदन करते हैं।

मैंने/हमने नीलामी के निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और एतद्वारा उन्हें स्वीकार करते हैं।

मैं/हम इच्छुक खरीददार, शेष प्रीमियम और अन्य राशि, यदि कोई हो, का भुगतान और उक्त शर्तों के अनुसार निर्धारित फार्म में पट्टा विलेख निष्पादित करेंगे।

मैं/हम इच्छुक खरीददार एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक बचनबंध-पत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

सर्वोच्च बोलीदाता के अथवा ऊपर
नामित इच्छुक खरीददार के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

(नीलामी संचालन अधिकारी
के प्रति हस्ताक्षर)

57 Prime Location Residential Plots in Delhi



Auction Brochure can be obtained
w.e.f. 19.11.2008 on any working day from the
DDA form Sales Counter, D-Block, Vikas Sadan,
New Delhi from 10:30 A.M. to 4:00 P.M.

PRICE Rs. 500/-



AUCTION PROGRAMME

Date : 16, 17, 18 December, 2008, Time : 11.30 A.M.

Venue : DDA Auction Hall, D-Block, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi

Contact for further details of plots Sl.No. 1 to 43 :

Deputy Director (OSB)

Block-A, 2nd Floor, Vikas Sadan, I.N.A. New Delhi. Tel : 24698783

Contact for further details of plots Sl.No. 44 to 56 :

Deputy Director (LA)

Block-C, 3rd Floor, Vikas Sadan, I.N.A. New Delhi. Tel : 24648827

Contact for further details of plot Sl.No. 57 :

Deputy Land & Development Officer

Room No. 633, Nirman Bhawan, New Delhi. Tel : 23061296



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

“Visit DDA Website - www.dda.org.in”

The Brochure and application form may be downloaded from website : www.dda.org.in